महोदय, अन्तरराष्ट्रीय विमान संगठन द्वारा प्रत्येक देश की हवाई सेवा कम्पनी को एक कोड दिया जाता है, जो प्रत्येक हवाई जहाज के पीछे के दोनों ओर लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि यह हवाई जहाज किस देश का है।

महोदय, भारतीय हवाई जहाजों को सन 1929 में ब्रिटिश राज्य में कोड आवंटित किया गया था और वह कोड - 'VT' था।

मान्यवर, 1929 में ब्रिटिश सत्ता थी, तदनुसार भारत के हवाई जहाजों को VT कोड दिया गया था। VT का अर्थ होता है वायसराय टेरिटरी, अर्थात् वायसराय का इलाका। सीधे शब्दों में कहें तो यह VT कोड आज भी दर्शाता है कि भारत ब्रिटिश वायसराय प्रशासित क्षेत्र में है।

महोदय, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका - अनेक देशों ने अपने कोड बदल दिए, परन्तु हमने आज़ादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश के स्वाभिमान से जुड़े इस गुलामी के प्रतीक को नहीं बदला है।

महोदय, इस वर्ष हम बड़े उल्लास के साथ आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। अतः मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और सरकार से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के पूर्व में कांटे की तरह चुभने वाले इस गुलामी के प्रतीक VT कोड को भारत के हवाई जहाजों से हटाने की मांग करता हूं।

## Demand for inclusion of sub-castes 'Majhwar' of Uttar Pradesh in the Scheduled Caste list

**श्री जयप्रकाश निषाद** (उत्तर प्रदेश): महोदय, भारतीय संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का विशेष प्रावधान किया गया है, किन्तु भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ समाज हज़ारों उपजातियों में विखंडित है, कई बार सिर्फ़ नाम-उपनाम के विभ्रम के कारण बहुत सी ऐसी उपजातियाँ इसके लाभ से वंचित रह गई हैं, जो इन लाभों की वास्तविक हकदार हैं।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुसूचित जाति की सूची में उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत "मझवार" जाति का नाम दर्ज है। "मझवार" जाति की कई उप-जातियाँ हैं - "मल्लाह", "केवट", "मांझी", "निषाद" और "बिन्द"। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन उपजातियों से संबंधित लोगों की सामाजिक हैसियत और उनका सामाजिक जीवन "मझवार" जाति के लोगों के समान ही है। सामाजिक स्तर पर भी "मल्लाह", "केवट", "मांझी", "निषाद" और "बिन्द" उपजातियों के लोगों को "मझवार" जाति के समान ही समझा जाता है, किन्तु उपनाम की विभ्रान्ति के कारण इन उपजातियों के नाम भारत सरकार की अनुसूचित जाति निमित्त निर्मित आधिकारिक सूची में दर्ज नहीं हो सके हैं। परिणामतः ये उपजातियाँ अनुसूचित जाति हेतु संविधान प्रदत्त लाभों से वंचित रह गई हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए आधिकारिक रूप से तैयार की गई अनुसूचित जाति की सूची में "मझवार" जाति के साथ इसकी उपजातियों अर्थात "मल्लाह", "केवट", "मांझी", "निषाद" और "बिन्द" के नाम भी दर्ज किए जाएँ, तभी जाकर भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा संजोया गया समतामूलक समाज के निर्माण का सपना पूरा हो सकेगा।

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

**चौधरी सुखराम सिंह यादव** (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Rajeev Satav; not present. Shri Ram Vichar Netam; not present.

**Concern over air pollution in Patna and Muzaffarpur and demand for intervention of Central agencies to deal with the situation**

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह** (बिहार) : महोदय, बिहार की राजधानी पटना और दूसरे प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर में कुल मिलाकर लगभग 30 लाख की आबादी निवास करती है, लेकिन ये दोनों शहर विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की श्रेणी में आते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, 2020 के अनुसार दुनिया भर के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पटना 32वें और मुजफ्फरपुर 28वें नंबर पर है। रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर में औसत वार्षिक पीएम 2.5 स्तर 74.3 और पटना में 68.4 पाया गया है, जो जन स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हानिकारक है। महोदय, स्थिति इतनी विकट है कि साल 2020 में एक भी दिन मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं पाई गई है। यह बात विशेष रूप से इसलिए भी चिंताजनक है कि यद्यपि ये दोनों शहर औद्योगिक शहरों की श्रेणी में नहीं आते, फिर भी यहाँ प्रदूषण की हालत इतनी खराब है। विशेषज्ञों के अनुसार पटना और मुजफ्फरपुर में गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या के लिए मानव जनित कारणों के साथ-साथ कुछ भौगोलिक कारण भी जिम्मेदार हैं। अतः मेरी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से यह मांग है कि स्थिति की गंभीरता के मद्देनज़र सर्वप्रथम विशेषज्ञों का एक दल तत्काल पटना और मुजफ्फरपुर भेज कर इसके कारणों का पता लगाया जाए और तत्पश्चात राज्य सरकार के साथ मिल कर एक विशेष कार्य योजना बनाई जाए, ताकि इन दोनों शहरों के निवासियों को प्रदूषण की इस गंभीर समस्या से छुटकारा मिल सके। इसके साथ-साथ इन दोनों शहरों में विशेष जन-जागरूकता अभियान चला कर आम लोगों को भी प्रदूषण नियंत्रण करने वाले उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

**Demand for release of compensation under GST to Maharashtra**

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I must draw the attention of the Government of India towards an important proposal of the Government of Maharashtra regarding compensation to the States under GST.